

C/100 - 27/2022

19/09/2023

वकील शर्मा के मेमो डेलिडर द्वारा मूल  
वाद में पत्रावली तलब करने का बतल सा.पत्र पर  
कार्रवाई के कारण पत्रावली आज दिनांक को परत  
हुआ वकील दादी द्वारा मूल वाद त्रुथाहरित करने  
के कारण सा.पत्र अनर्कित द्वारा 212 का मॉड  
विलिख ओपिल्य नहीं होने के कारण शर्मा के  
शर्मा पत्र को इसी स्तर पर अरिज किया जाता  
है। पत्रावली के मूल शुभाद होकर पत्रावली नम्बर  
रामन

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

नरेन्द्र सिंह  
17  
माँकर के बालक  
अ.प.